मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल–462002

समय सीमा
तत्काल

क्रमांक एफ 19–76/2007/1/4, भोपाल, दिनांक 06 अगस्त, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश,
समस्त विभागाध्यक्ष,मध्यप्रदेश,
समस्त कलेक्टर्स,मध्यप्रदेश,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,म0प्र0.

विषयः – माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाई तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में ।

संदर्भ:– (1) संसदीय कार्य विभाग का ज्ञापन क्रमांक 109एक(2)/31/48/2001/(सं.का.) दिनांक 23.01.2002 एवं कमांक 259/एक/(8)/13/48/2002 (सं.का.), दिनांक 26.2.2004
(2) सा0प्र0वि0 ज्ञापन क्रमांक एफ 19 –153/2004/1/4, दिनांक 10.08.2004
(3) सा0प्र0वि0 ज्ञापन कमांक एफ 19–76/2007/1/4, दिनांक 18.05.2007
(4) सा0प्र0वि0 ज्ञापन कमांक एफ 19–76/2007/1/4, दिनांक 17.08.2009,
(5) सा0प्र0वि0 ज्ञापन कमांक एफ 19 –136/2007/1/4 , दिनांक 02.12.2009
(6) सा0प्र0वि0 ज्ञापन कमांक एफ 19 –76/2007/1/4 , दिनांक 22.03.2011

–––––000–––––

संसदीय कार्य विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन द्वारा समय–समय पर माननीय संसद सदस्यो तथा मान0 विधायकों के पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाई कर उत्तर देने, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, उन्हें सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ राज्य सरकार को उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन न करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही है । अतः इस संबंध में पुनः निम्नानुसार एकजाई निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. माननीय संसद सदस्यों/विधायको से प्राप्त पत्रो की अभिस्वीकृति अधिकतम तीन कार्य दिवसो में अनिवार्य रूप से भेजी जाए । इस हेतु अभिस्वीकृति का प्रारूप परिशिष्ट–''एक'' पर संलग्न हैं।

2. माननीय संसद सदस्यो/विधायको से प्राप्त पत्रो के लिए पृथक पंजी संधारित करना अनिवार्य है (प्रारूप परिशिष्ट–''दो'' पर है) । इन पंजियो को संबंधित कार्यालय प्रमुख कम से कम माह में एक बार अवलोकन कर उस पर हस्ताक्षर करेगें ।

निरन्तर........2

3. प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर जारी किए गए आदेश/निर्देश की प्रति के साथ उत्तर माननीय संसद सदस्यो/विधायकों का समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाए ।

4. जिन प्रकरणों के निराकरण में अधिक समय लगने की संभावना हो तो मान0 सदस्यों को तद्नुसार अंतरिम रूप से अवगत कराया जाए ।

5. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की मासिक समीक्षा करेंगे।

3/ शासन के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्था अथवा शासकीय महाविद्यालयों में गठित जनभागीदारी समितियों द्वारा आयोजित शासकीय/सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद/विधायक को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। उन्हें आमंत्रण पत्र/प्रवेश पत्र समय पूर्व भेजे जाए, ताकि इस संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो । इन समारोहों/कार्यक्रमों में उपस्थित माननीय संसद सदस्यों/विधायकों को समुचित सम्मान दिया जाए और वारंट ऑफ प्रिसीडेन्स के आधार पर ही माननीय सदस्यों के बैठने के लिए उनकी गरिमा के अनुकूल स्थान सुरक्षित रखा जाए ।

4/ शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के प्रति यथोचित शिष्टचार तथा सम्मान दर्शाते हुए उनके कार्य निष्पादन तथा कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करें । माननीय संसद सदस्य/विधायक के किसी प्रस्ताव/सुझावों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो तो स्पष्ट कारणों सहित नम्रता तथा शिष्टाचार के साथ उन्हें अवगत कराएं ।

5/ कृपया उक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में लाकर इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उस पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित को निलंबित किया जा सकेगा और अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी ।

Sudesh

(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh,
Home Department

निरन्तर........3

परिशिष्ट–'ए

(पावती का प्रारूप)

कार्यालय का नाम

क्रमांक दिनांक

प्रति,

माननीय श्री ....,

सांसद / विधायक ....,

पता ....,

विषयः– ....।

—০—

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राप्त आपका पत्र दिनांक...................... इस कार्यालय की पंजी क्रमांक .... पर दर्ज किया गया है जिसे आवश्यक/अग्रिम कार्यवाही हेतु अ विभाग/कार्यालय के पत्र क्रमांक..दिनांक .... द्वारा .... को प्रेषित किया गया हैं। संबंधित कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही कर आपको अवगत कराया जाएगा।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/पदमुद्रा

परिशिष्ट–'दो'

संसद सदस्यों/विधायकों से प्राप्त पत्रों का रजिस्टर

क्र.	पंजी क्रमांक	संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य का नाम एवं पता	पत्र का क्र. एवं दिनांक	पत्र का संक्षित विषय	विभाग एवं अधिकारी का नाम जिसे अंकित किया गया हो	की गई कार्यवाही	विभाग द्वारा संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य को भेजे गए उत्तर का क्र. एवं दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh
Home Department